

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ-1 / सा.प्र.वि./शि.जा./24/१०/

भिलाई, दिनांक 15/३/२४

//आदेश//

श्री अशोक कश्यप, तकनीकी सहायक, नगर पालिक निगम भिलाई के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के खण्ड (एक), (II) अंतिम चेतावनी दी जाती है, कि भविष्य में दायित्वों निर्वहन में किसी भी प्रकार की असावधानी, ना करे का औपचारिक दण्ड दिया जाता है तथा विभागीय जांच समाप्त किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./एफ-1 / सा.प्र.वि./शि.जा./24/१०/२
प्रतिलिपि :-

भिलाई, दिनांक 15/३/२४

1. महापौर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. उपायुक्त-1 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
6. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री अशोक कश्यप, तकनीकी सहायक, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ-1/ सा.प्र.वि./शि.जा./24/2097

भिलाई, दिनांक 15/3/24

//आदेश//

श्री दिलीप हुमने, सहायक राजस्व निरीक्षक, नगर पालिक निगम भिलाई के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के खण्ड (एक), (II) अंतिम चेतावनी दी जाती है, कि भविष्य में दायित्वों निर्वहन में किसी भी प्रकार की असावधानी, ना करे का औपचारिक दण्ड दिया जाता है तथा विभागीय जांच समाप्त किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

पृ.क्र./एफ-1/ सा.प्र.वि./शि.जा./24/2098
प्रतिलिपि :-

भिलाई, दिनांक 15/3/24

1. महापौर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. उपायुक्त-1 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
6. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री दिलीप हुमने, सहायक राजस्व निरीक्षक, संपत्तिकर विभाग, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।



आयुक्त

नगर पालिक निगम

भिलाई

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ-1/ सा.प्र.वि./शि.जा./24/2094

भिलाई, दिनांक 15/3/24

//आदेश//

श्री तेजस्व गुप्ता, स्वच्छता पर्यवेक्षक, नगर पालिक निगम भिलाई के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 10 के खण्ड (एक), (II) अंतिम चेतावनी दी जाती है, कि भविष्य में दायित्वों निर्वहन में किसी भी प्रकार की असावधानी, ना करे का औपचारिक दण्ड दिया जाता है तथा विभागीय जांच समाप्त किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ.क्र./एफ-1/ सा.प्र.वि./शि.जा./24/2100
प्रतिलिपि :-

भिलाई, दिनांक 15/3/24

1. महापौर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. उपायुक्त-1 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
6. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
7. श्री तेजस्व गुप्ता, स्वच्छता पर्यवेक्षक, विधि विभाग, नगर पालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई